रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2008/आश्विन 23, 1930
No. 554] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2008/ASVINA 23, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2008

सा.का.नि. 732(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिपत नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक, समूह 'ख' भर्ती नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक	1* *(2008) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-1 जिसने 5500-9000 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की हो या ऐसा आशुलिपिक जिसने क्रमशः 5500-9000 रु. एवं 5000-8000 रु. के वेतनमान में आशुलिपिक श्रेणी-1 एवं आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद पर संयुक्त रूप से छह वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)

प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किया हुआ हो, या

(ii) मूल काडर/विभाग में 5500—9000 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आशुलिपिक श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो या 5500—9000 रु. तथा 5000—8000 रु. या समतुल्य के वेतनमान में आशुलिपिक श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के पद पर संयुक्त रूप से छह वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. मुख्य नियोजक/अपर मुख्य नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन —अध्यक्ष 2. नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन —सदस्य 3. ज्येष्ठ समाज विज्ञानी, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन —सदस्य 4. ज्येष्ठतम सह नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/3/2001/टीसीपीओ/प्रशा.-III/यूडी-I]

एच. के. कान्डपाल, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Town and Country Planning Organisation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2008

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Personal Assistant, in the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Senior Personal Assistant Group "B" Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, Classification and Scales of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of Recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect any reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Personnal Assistant	1* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/Absorption to be made
(11)	(12)
Promotion, failing which by deputation	**Promotion :** Stenographers Grade I in the Scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade or with six years combined regular service in the Stenographer Grade-I and Stenographer Grade-II in the pay scale of Rs. 5500-9000 and Rs. 5000-8000 respectively. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less. And have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their junior who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central Government. (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR (ii) With three years' service in the Stenographer Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; or with six years combined service in the pay scale of Rs. 5500-9000 and Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department in Stenographer Grade-I and II, on a regular basis. The department officers in the feeder category who are in the direct line of promotionn will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Prommotion Committee (for considering promotion) : (i) Chief Planner/Additional Chief Planner, town and country planning organisation —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

3962 GI/08-2

(13)	(14)
(ii) Town and Country Planner, town and countrry planning organisation	—Member
(iii) Senior Social Scientist, town and country planning organisation	—Member
(iv) Senior most Associate, town and country planner, town and country planning organisation	—Member

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn.-III/UD-I]

H. K. KANDPAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2008

सा.का.नि. 733(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आशुलिपिक श्रेणी I समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय और अननुसचिवीय) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय और अननुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आशुलिपिक श्रेणी I समूह 'ख' भर्ती नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-1	04*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5500-175 9000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होंने 5000-8000/रु. के वेतनमान की इस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000/-रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आशुलिपिक श्रेणी-2 के रूप मे तीन वर्ष सेवा की हो ।

(12)
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : 1. मुख्य नियोजक/अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ समाज विज्ञानी, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सह नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन —सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/3/2001/टी सी पी ओ/प्रशा.-III/यूडी-I]

एच. के. काण्डपाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2008

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Stenographer Grade I Group "B" Non-Gazetted (Ministerial and Non-ministerial) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group "B" Non-Gazetted (Ministerial and Non-ministerial) post in the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely :—

1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Stenographer Grade-I Group "B" Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.** —The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.** —The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect any reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade I	4* *(2008) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ Absorbtion, grades from which promotion/Deputation/ Absorption to be made
(11)	(12)
Promotion, failing which by deputation	**Promotion :** Stenographers Grade II in the pay scale of Rs. 5000-8000 with three years regular service in the Grade. **Note :** Where Juniors who have completed their qualifying/Eligibility service are being considered for

(12)

promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their Juniors who have already completed such qualifying/ Eligibility Service.

Deputation :

Officers under the Central Government :

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) Stenographer Grade II with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a Regular basis in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or Equivalent in the parent cadre/department; The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Prommotion Committee (for considering Promotion) : (i) Chief Planner/Additional Chief Planner, Town and Country Planning Organisation —Chairman (ii) Senior Social Scientist, Town and Country Planning Organisation —Member (iii) Senior most Associate Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation —Member (iv) Administrative Officer, Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn.-III/UD-I]

H. K. KANDPAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 604] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2009/आश्विन 28, 1931
No. 604] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 762(अ).—भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय (नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 732(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 10 अक्तूबर, 2008 में पृष्ठ 1 से पृष्ठ 6 में प्रकाशित की गई थी, पर पृष्ठ 3 पर "ज्येष्ठतम सह नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन" के स्थान पर "ज्येष्ठतम सह नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन" पढ़ें।

[फा. सं. ए-12018/3/2001/टीसीपीओ/प्रशा. III/यूडी-I]

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGANISATION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th October, 2009

G.S.R. 762(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Urban Development (Town and Country Planning Organisation), number G.S.R. 732(E), dated the 10th October, 2008, published at pages 1 to 6 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th October, 2008, at page 6, for "Senior most Associate, town and country Planner, town and country Planning Organisation", read, "Senior most Associate Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation".

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn. III/UD-I]

K.G. MOHANTA, Under Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th October, 2009

G.S.R. 763(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Urban Development (Town and Country Planning Organisation), number G.S.R. 733(E), dated the 10th October, 2008, published at pages 6 to 10 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th October, 2008, at page 10, for "Administrative Officer, Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation", read, Administrative Officer, Town and Country Planning Organisation".

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn. III/UD-I]

K.G. MOHANTA, Under Secy.

3762 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.